भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 263
22 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में नोमोफोबिया से पीड़ित मरीज़

263. # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में नोमोफोबिया से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मरीजों में बड़ी संख्या में छोटे बच्चे और युवा हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा नोमोफोबिया से निपटने के लिए अलग से आधुनिक मनौवैज्ञानिक तंत्र स्थापित है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): देश में नोमोफोबिया से पीड़ित मरीजों का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की लत सहित विभिन्न व्यवहारगत लतों के प्रबंधन के लिए एम्स, नई दिल्ली में एक व्यवहारगत लत क्लिनिक की स्थापना की गई है।

हालाँकि, मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, बहिरंग सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाइयाँ, आउटरीच सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का भी प्रावधान है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.77 लाख से ज़्यादा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेज़पुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं। सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 17.07.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 23,82,000 से अधिक फोन कॉलों पर परामर्श दिया जा चुका है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक की समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

सरकार ने पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा के एक और उन्नयन के रूप में टेली-मानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है।

******